प्र.सं. 11/2022 शान्तिलाल व अन्य बनाम प्रभु व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त खातेदारी की ग्राम भुंगडा, तहसील घाटोल में आराजी नंबर 552, 553, 555, 557 कुल किता 4 रकबा 0.48 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें 1/2 हिस्सा वादी का तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं, किन्तु विधिवत बंटवारा नहीं होने से पक्षकारों के मध्य विवाद होता है। पक्षकारान के मूल पुरूष धुलिया जी होकर उनके दो पुत्र पुंजिया व कानिया हुए। पुंजिया के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तथा कानिया का पुत्र वादी प्रभु है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आराजियात का पक्षकारों के मध्य 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.09.2021 से वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश द्विवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए, जबकि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी संख्या 1 से 3 गुजरात में मजदूरी करते हैं तथा वहीं निवासरत हैं, उनकी तामिल किये बिना ही तामिल मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर दिया, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 09.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के मौके पर धमकी देने से हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अत मयाद में कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की [illegible] जाती है। दौराने बहस [illegible] वकील [illegible] अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को [illegible] हुए बताया [illegible] अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही [illegible] प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। सर्वे नंबर [illegible] रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता कानिया द्वारा उंकार पिता	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

रूपा चमार को विक्रय की गयी है, उक्त तथ्यों को छुपाकर वादी ने विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली है, यदि अपीलान्टगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता तो उक्त स्थिति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित करने हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय पारित करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जिससे प्रतिवादी/अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि उनका कथन है कि सर्वे नंबर 84 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पिता कानिया द्वारा उंकार पिता रूपा चमार को विक्रय की गयी है, उक्त तथ्यों को छुपाकर वादी ने विवादित आराजियात में 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली है, यदि अपीलान्टगण को जवाबदावा एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर मिलता तो उक्त स्थिति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट हो जाती, जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं तथा तथ्यों को छुपाकर 1/2 हिस्से की डिक्री प्राप्त कर ली। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 42/2020 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.09.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:34:47 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील अधिकारी
एवं पदेन जिला कलक्टर
उदयपुर